# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 | अंक 12 | 16–30 जून 2026 | ₹ 20/-

# मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा देशव्यापी आंदोलन की घोषणा

- उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड आधिकारिक तौर पर समाप्त
- पाकिस्तान से 24 लाख अफगान निष्कासित
- इजरायल और लेबनान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर
- धर्मांतरित मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने पर अदालती रोक

परामर्शदाता
**डॉ. कुलदीप रतनू**

सम्पादक
**मनमोहन शर्मा***

सम्पादकीय सहयोग
**शिव कुमार सिंह**

**कार्यालय**
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

**E-mail:**
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

**Website:**
www.ipf.org.in

**मुद्रक–प्रकाशकः** मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

# अनुक्रमणिका

**सारांश** 03

**राष्ट्रीय**

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा देशव्यापी आंदोलन की घोषणा 04
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड आधिकारिक तौर पर समाप्त 08
महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी 09
धर्मांतरित मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने पर अदालती रोक 13
मुहर्रम जुलूस में जहर बांटने वाला गिरफ्तार 14

**विश्व**

पाकिस्तान से 24 लाख अफगान निष्कासित 17
महरंग बलोच समेत चार बलूच नेताओं को उम्रकैद 18
अफगानिस्तान का पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला 20
बांग्लादेश में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की हत्या 21
स्कॉटलैंड में मस्जिद पर हमला 22

**पश्चिम एशिया**

इजरायल और लेबनान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर 23
ईरानी गायिका को कोड़े मारने की सजा 25
ईरान-अमेरिका युद्धविराम समझौता खतरे में 26
इजरायली हमले में हमास के पूर्व प्रमुख का भतीजा ढेर 28
नाइजीरिया में आतंकी हमले में 20 लोगों की मौत 28

# सारांश

आमतौर पर यह देखा गया है कि अदालतों के दिशानिर्देशों पर जब सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई अभियान चलाती है तो कट्टरपंथी ताकतें इसे सांप्रदायिक रंग देकर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ देती हैं। हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाजपा सरकारों पर मुसलमानों के कथित उत्पीड़न और मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया है। बोर्ड ने मस्जिदों, मदरसों और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की घटनाओं की भी कड़ी निंदा की है। इसके विरोध में बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त सरकारी समारोहों, स्कूलों और मदरसों में 'वंदे मातरम' के गायन को अनिवार्य बनाए जाने, विभिन्न राज्यों द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के प्रयासों और मध्य प्रदेश की भोजशाला मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी असंतोष जताया गया है। बोर्ड का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की मांगों के प्रति कथित सेक्युलर पार्टियों का रवैया बेहद निराशाजनक रहा है, जिसके कारण उसे अब सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा करनी पड़ी है।

अमेरिका के दबाव और मध्यस्थता के बाद इजरायल और लेबनान सरकार के बीच शांति समझौता हो गया है। पिछले दो सालों से इजरायल पर ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह और हमास लगातार हमले करते आ रहे हैं। इन हमलों को रोकने के लिए इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की। इस खूनी संघर्ष में अब तक चार हजार से अधिक लेबनानी मारे जा चुके हैं। खास बात यह है कि भले ही अमेरिका के प्रयास से लेबनान और इजरायल के बीच युद्धविराम समझौता हो गया हो, लेकिन ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इसमें तरह-तरह की अड़चनें डाल रहा है। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने इस समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनका संगठन इजरायल के खिलाफ अपना सशस्त्र संघर्ष जारी रखेगा और अपने हथियार किसी भी एजेंसी या लेबनानी सेना को नहीं सौंपेगा।

इसी तरह कुछ दिनों पहले ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति समझौता हुआ था, वह भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आरोप लगाया है कि ईरान के पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे सिंगापुर के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को अपना निशाना बनाया है। इसकी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने भी ईरान में उसके मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार केंद्रों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। दूसरी ओर, ईरान ने भी बहरीन और कुवैत जैसे देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया। इन हमलों के बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे को गंभीर परिणाम भुगतने और तबाह करने की धमकियां देनी फिर से शुरू कर दी हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में कानून का मसौदा तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है। इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्य यूसीसी कानून पारित कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने भी इसे लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि आगामी अगस्त महीने में विधानसभा सत्र के दौरान इस संबंध में एक विधेयक पेश किया जाएगा। हालांकि, विपक्षी दलों के रुख और विभिन्न आयामों को देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल इस विषय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। इस बीच छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारें भी यूसीसी को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं।

राष्ट्रीय

# मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा देशव्यापी आंदोलन की घोषणा

**इंकलाब** (23 जून) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाजपा सरकारों द्वारा मुसलमानों के कथित उत्पीड़न, मॉब लिंचिंग तथा मस्जिदों, मदरसों और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की घटनाओं पर कड़ा विरोध प्रकट किया है। बोर्ड ने इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त सरकारी समारोहों, स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने, विभिन्न राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के प्रयासों और मध्य प्रदेश की भोजशाला मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ भी देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया गया है।

दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए देश में मुसलमानों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भाजपा सरकारों पर आरोप लगाया कि उनके शासन में मुस्लिम समुदाय के जान-माल, इज्जत-आबरू और धार्मिक स्थल असुरक्षित हैं तथा उनकी आस्था और मौलिक अधिकारों पर संकट मंडरा रहा है।

इलियास ने बताया कि बोर्ड की बैठक में मुस्लिम समुदाय की बिगड़ती स्थिति, सांप्रदायिक तनाव और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करके प्रकाशित करने का फैसला लिया गया है ताकि देश के जागरूक, न्यायप्रिय और लोकतांत्रिक सोच वाले वर्गों की अंतरात्मा को जगाया जा सके। इसके साथ ही, मुसलमानों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलने, संवैधानिक अधिकारों का हनन करने, नफरत भड़काने और उनके जान-माल पर होने वाले हमलों के खिलाफ एक 'राष्ट्रीय संचालन समिति' का गठन किया जाएगा। यह समिति न्यायप्रिय लोगों और संगठनों के सहयोग से देशव्यापी आंदोलन चलाएगी।

बोर्ड द्वारा पारित एक प्रस्ताव में मध्य प्रदेश की भोजशाला के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। प्रस्ताव में

कहा गया है कि अदालत ने यह फैसला देते समय ऐतिहासिक दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। बोर्ड का मानना है कि यह फैसला संसद द्वारा पारित उपासना स्थल (विशेष प्रावधान अधिनियम), 1991 के बिल्कुल खिलाफ है, जो धार्मिक स्थलों के संरक्षण की गारंटी देता है।

एक अन्य प्रस्ताव में बोर्ड ने वंदे मातरम को अनिवार्य घोषित करने के सरकारी निर्णय की कड़ी आलोचना की और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ बताया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार वंदे मातरम को अनिवार्य करने के लिए संसद में कोई कानून लाती है तो इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बोर्ड ने साफ किया कि वंदे मातरम का गायन इस्लाम के 'तौहीद' के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए सरकार किसी भी मुसलमान को इसे गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने भाजपा की राज्य सरकारों द्वारा यूसीसी लागू करने के प्रयासों का भी कड़ा विरोध किया है और इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि वह सरकारी भूमि से अवैध इमारतों को हटाने की आड़ में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है। यह कार्रवाई मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे के बाद शुरू की गई थी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में एक दर्जन से अधिक मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा चुका है। इसके साथ ही सैकड़ों अन्य धार्मिक स्थलों को भी अवैध घोषित कर उन्हें ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें जैसलमेर में रामगढ़-तनोट मार्ग पर स्थित 250 साल पुरानी हजरत महमूद शाह जिलानी की दरगाह भी शामिल है।

दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 'एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' ने दावा किया है कि पिछले दो दिनों में भाजपा शासित विभिन्न राज्यों में 40 से अधिक मदरसों और मस्जिदों को अवैध करार देकर ध्वस्त किया जा चुका है।

**सियासत** (27 जून) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि आज देश में तानाशाही कायम है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर न्याय का नहीं, बल्कि बदले की भावना और नफरत का प्रतीक बन गया है। कानून और अदालतों के आदेश को नजरअंदाज करके मुसलमानों के घरों, दुकानों और उपासना स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है।

**हिंदुस्तान** (17 जून) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी ने देश के विभिन्न भागों में मस्जिदों, दरगाहों और मुस्लिम बहुल बस्तियों को ध्वस्त किए जाने के अभियान की कड़े शब्दों में

निंदा की है। जमात-ए-इस्लामी के उप अमीर मलिक मोहतसिम खान ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि पिछले दिनों दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, संभल, फरीदाबाद, जयपुर, मध्य प्रदेश और वीरमगाम (गुजरात) में व्यापक पैमाने पर मुस्लिम धार्मिक स्थलों और बस्तियों को अवैध घोषित कर ध्वस्त किया गया है और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह सब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई गई रोक के बावजूद हो रहा है और प्रभावित लोग बेबसी से अपनी तबाही देखने को मजबूर हैं।

**एतेमाद** (28 जून) ने कहा है कि वाराणसी की सदियों पुरानी 'गंज शहीदा मस्जिद' को हटाने का नोटिस मिला है। यह मस्जिद 900 साल पुरानी बताई जाती है, जिसकी भूमि पर रेलवे ने अपना दावा किया है। 'मुस्लिम मिरर' ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि देशभर में भाजपा सरकारों द्वारा मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों और घरों को ध्वस्त करने का एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि गंज शहीदा मस्जिद के प्रबंधकों ने जब इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने और कानूनी कदम उठाने की तैयार की तो प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए रेलवे ने इस ध्वस्तीकरण नोटिस को वापस ले लिया, जिससे वहां के लोगों को राहत मिली है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (22 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आज देशभर में मस्जिदों और मजारों का नामोनिशान मिटने का खतरा पैदा हो गया है। सांप्रदायिक सरकारों द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली आदि में जो बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है उसके कारण देश में संविधान, मुसलमानों की पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की मुस्लिम दुश्मनी किसी से छिपी हुई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह और दरगाह अजमेर शरीफ जैसे महत्वपूर्ण और सदियों पुराने मुस्लिम धार्मिक स्थल भी विवाद का केंद्र बना दिए गए हैं।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि भारतीय संसद वर्ष 1991 में उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम पारित कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों मस्जिदों और दरगाहों को ध्वस्त करने या उन पर दावा करने के मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति या संगठन किसी भी धार्मिक स्थान की स्थिति को जबरन बदलने की कोशिश करता है तो उसके लिए तीन साल की जेल और जुर्माने की व्यवस्था है, लेकिन इस कानून को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज इस्लामी शासन के इतिहास को मिटाने का अभियान चल रहा है। अगर कानून सभी के लिए बराबर है तो अब तक किसी मंदिर या हिंदुओं के किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ बुलडोजरों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जरूरत इस बात की है कि सरकार अपनी मुस्लिम विरोधी नीति में सुधार करे।

**सियासत** (21 जून) ने आरोप लगाया है कि देशभर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान उत्तर भारत के राज्यों में लंबे समय से चलाया जा रहा था, लेकिन अब यह देश के अन्य भागों में भी फैल गया है। मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में भी मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इसका एकमात्र लक्ष्य राजनीतिक लाभ उठाना है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (25 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हालिया बैठक में इस बात पर गहरा दुख प्रकट किया गया है कि किसी भी तथाकथित सेक्युलर पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ देशभर में चलाए जा रहे नफरती अभियान और बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए मजबूती से आवाज नहीं उठाई है। मुसलमानों को अब तक इन सेक्युलर पार्टियों के रवैये से केवल निराशा ही हाथ लगी है। कोई भी राजनीतिक दल मुसलमानों की न्यायसंगत मांगों का खुलकर साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित अन्य सेक्युलर पार्टियों का रुख मुसलमानों के प्रति असहयोगपूर्ण रहा है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विवश होकर खुद देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला करने पर मजबूर होना पड़ा है।

समाचारपत्र ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अनुरोध किया है कि वह अपने इस आंदोलन में देश के सभी न्यायप्रिय और सेक्युलर नागरिकों तथा संगठनों का सहयोग लेने का प्रयास करे ताकि सरकार पर दबाव बनाकर उसे अपनी मुस्लिम विरोधी नीतियों को बदलने पर मजबूर किया जा सके।

**अखबार-ए-मशरिक** (26 जून) ने अपने संपादकीय में राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर करने की सिफारिश पर गहरी चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि इस बहाने से कुछ लोग मुसलमानों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण पिछले कुछ वर्षों से देश की साझा संस्कृति को मटियामेट करने के लिए एक सुनियोजित अभियान चला रहा है। भारत एक बहु-धार्मिक देश है और इसी में उसकी वास्तविक शक्ति निहित है।

जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिए देश की 'गंगा जमुनी तहजीब' से खिलवाड़ न करें, क्योंकि यह देशहित में नहीं है।

**अवधनामा** (25 जून) ने अपने संपादकीय में देशभर में मस्जिदों, दरगाहों और मुस्लिम घरों को ध्वस्त किए जाने के अभियान की कड़ी निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस अभियान की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी है। अमेरिका में धार्मिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यरत संगठन 'जस्टिस फॉर ऑल' ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के हनन पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने आगे कहा है कि दुख की बात है कि अदालतें भी इस अभियान को रोकने में नाकाम रही हैं। इसके अतिरिक्त बड़े मुस्लिम संगठन भी मुसलमानों की इस तबाही को खामोशी से देख रहे हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि आखिर अन्याय के खिलाफ हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? इसे रोकने के लिए मुसलमानों को एकजुट होकर एक ठोस रणनीति तैयार करनी होगी।

# उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड आधिकारिक तौर पर समाप्त

**हिंदुस्तान** (2 जुलाई) के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को आधिकारिक तौर पर खत्म करने की घोषणा की है। अब इसके स्थान पर 'उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' ने शिक्षा का सारा कार्य संभाल लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है, जहां सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान कानून लागू किया गया है। यह नया फैसला सिर्फ मदरसों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में तमाम मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के शिक्षण संस्थान भी शामिल होंगे। अल्पसंख्यक विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य के हर अल्पसंख्यक संस्थान को इस नए कानून का पालन करना होगा।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (2 जुलाई) के अनुसार उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रो. सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि नए कानून के तहत मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक बच्चों को भी इस्लामी मदरसों में प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड अब तक केवल इस्लामी शिक्षा तक ही सीमित था, लेकिन नई नीति के तहत अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के दरवाजे सभी अल्पसंख्यक बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। प्राधिकरण ने पहली से आठवीं कक्षा तक के लिए एक समान पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसे राज्य के सभी अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू किया जाएगा। अब इस्लामी मदरसों में दीनी शिक्षा के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू और अरबी आदि विषय पढ़ाए जाएंगे। विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस ने

राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना की है, जबकि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे इस्लामी मदरसों के बच्चों के लिए भी आधुनिक शिक्षा के दरवाजे खुल गए हैं।

**इंकलाब** (2 जुलाई) के अनुसार जमीयत उलेमा उत्तराखंड ने सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए इसे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दी गई गारंटी पर सीधा हमला बताया है। संगठन के प्रदेश महासचिव मौलाना शराफत अली कासमी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है और मामला अभी विचाराधीन है। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने आरोप लगाया कि राज्य के सभी 452 पंजीकृत अल्पंसख्यक शिक्षण संस्थानों को प्रभावित करने वाले इस बड़े फैसले से पहले सरकार ने किसी भी अल्पसंख्यक नेता, मुस्लिम विद्वान या शिक्षा विशेषज्ञ से कोई सलाह-मशवरा नहीं किया। वहीं, उत्तराखंड कांग्रेस नेता मुजतबा अली ने इसे सरकार का मनमाना और संविधान विरोधी कदम करार दिया है।

**हिंदुस्तान** (30 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय इस्लाम और मदरसों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों पर सीधा आघात है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार का यह फैसला संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सरकार का यह तर्क निराधार है कि धार्मिक शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि नया पाठ्यक्रम कौन तय करेगा और उलेमा की नियुक्ति कौन करेगा? अगर पाठ्यक्रम के किसी अंश पर आपत्ति होती है या वह इस्लामिक सिद्धांतों के विपरीत होता है तो उसे हटाने का अधिकार किसके पास होगा? अगर ये सभी अधिकार सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे तो संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने और शिक्षा देने के अधिकार का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। स्पष्ट है कि राज्य सरकार संविधान को ताक पर रखकर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, जिससे आधुनिक शिक्षा के नाम पर छात्रों को उनकी इस्लामी पहचान और कुरान से दूर किया जा रहा है। अतः इस कानून को संवैधानिक कसौटी पर परखा जाना बेहद जरूरी है।

## महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी

**हिंदुस्तान** (24 जून) के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा विधायक देवयानी फरांडे द्वारा नियम 105 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना पर मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा, तीन तलाक कानून के क्रियान्वयन और यूसीसी को लेकर चर्चा की शुरुआत की गई। इस दौरान सदन

में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने घोषणा की कि राज्य सरकार यूसीसी लागू करने से संबंधित कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन व मसौदा तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी। इस समिति की रिपोर्ट और मसौदे के आधार पर राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले विधायक देवयानी फरांडे ने सदन में कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम पुरुषों द्वारा एक से अधिक विवाह किए जाने और महिलाओं को तलाक देने के लिए उन पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर उनके पतियों द्वारा जानलेवा हमले किए जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। फरांडे ने सरकार से मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करने, ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और इस विषय पर सरकार का स्पष्ट रुख रखने की मांग की।

चर्चा के दौरान विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक जयंत पाटिल ने विरोध करते हुए कहा कि यह मामला विधानसभा के दायरे में नहीं आता है और इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी इस आपत्ति को खारिज कर दिया। दूसरी ओर, एनसीपी (अजित पवार गुट) की विधायक सना मलिक ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह की अनुमति है। पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां कुरान के अनुसार कानून लागू हैं, इसलिए अगर भारत में भी ऐसा हो तो कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लाम में हम वही मानते हैं जो कुरान में कहा गया है। अगर कुरान में लिखी किसी बात को पाकिस्तान ने लागू किया है तो भारत को भी उसे लागू करना चाहिए और वे इसकी मांग करती हैं।

**हिंदुस्तान** (24 जून) के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में नाशिक की एक घटना का उल्लेख किया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को मोबाइल फोन और ईमेल के जरिए तलाक देने का मामला सामने आया था। कदम ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के हनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें पुरुषों के उत्पीड़न से बचाने व उनके साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी लागू करना आवश्यक है। समाचारपत्र का कहना है कि गृह राज्यमंत्री योगेश कदम नाशिक की इस घटना की आड़ लेकर राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए माहौल बना रहे हैं। हकीकत यह है कि केंद्र में जब से भाजपा सत्तारूढ़ हुई है वह लगातार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और उन्हें परेशान करने के लिए नित नए कानून

लागू किए जा रहे हैं। अब तक उत्तराखंड, असम और गुजरात में इस्लाम और शरिया विरोधी कानून लागू हो चुके हैं। अब महाराष्ट्र भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। मुसलमानों को इस इस्लाम विरोधी कार्रवाई का विरोध करना चाहिए।

इसी समाचारपत्र ने 25 जून के संपादकीय में कहा है कि महाराष्ट्र इस समय कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार को उनके समाधान में कोई रुचि नहीं है। जनता का ध्यान इन ज्वलंत मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार जानबूझकर आए दिन नई शोशेबाजी कर रही है। यूसीसी से संबंधित विधेयक इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि सरकार यह भलीभांति जानती है कि जनता की बुनियादी समस्याओं को हल करना बेहद कठिन है। एनसीपी की विधायक सना मलिक ने विधानसभा में यह उचित सवाल उठाया है कि अगर सरकार का वास्तविक लक्ष्य महिलाओं का सशक्तिकरण और उन्हें उत्पीड़न से बचाना है तो क्या यह समस्या केवल मुस्लिम महिलाओं तक सीमित है? क्या समाज के अन्य वर्गों की महिलाओं को इस उत्पीड़न से बचाना जरूरी नहीं है?

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में जानबूझकर हस्तक्षेप कर रही है ताकि समाज में ध्रुवीकरण कर बहुसंख्यक वर्ग के वोट बटोरे जा सकें। भाजपा शासित राज्य सरकारों ने यूसीसी लागू करने के जो दावे किए हैं अगर वे उसके प्रति गंभीर हैं तो आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सभी मुस्लिम संगठन सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हों और एक संयुक्त रणनीति तैयार करें।

**उर्दू टाइम्स** (24 जून) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि जब तक अजित पवार जीवित थे तब तक महायुति सरकार की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह राज्य में यूसीसी लागू करने का विचार भी करे। अब जब अजित पवार का निधन हो चुका है तो राज्य में यूसीसी लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि, अब महाराष्ट्र में भी यूसीसी का लागू किया जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में सरकार के पास जिस तरह का भारी बहुमत है उसे देखते हुए इस कानून को पारित कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी ओर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून का पुरजोर विरोध कर चुका है, लेकिन इस विषय पर मुस्लिम समुदाय के भीतर वैचारिक एकजुटता का अभाव दिख रहा है। यही कारण है कि सत्तारूढ़ दल इसका भरपूर लाभ उठा रहा है।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (2 जुलाई) ने अपने संपादकीय में भाजपा शासित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा यूसीसी लागू करने के फैसले की निंदा की है। समाचारपत्र का कहना है कि यूसीसी के बहाने भाजपा अपने हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने का प्रयास कर रही है। समाचारपत्र ने लिखा है कि यूसीसी की बुनियादी परिकल्पना यह है कि निकाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और गुजारा भत्ता के संबंध में जो शरीयत या पर्सनल कानून हैं, उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाए।

सरकार अपने इस एजेंडे की पुष्टि के लिए संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देती है। हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 44 मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत सरकार के लिए एक दिशा-निर्देश मात्र है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की मूल भावना से मेल नहीं खाता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में नागरिकों को अपने धार्मिक रीति-रिवाजों और पर्सनल लॉ के पालन की स्वतंत्रता दी गई है। चूंकि भारत एक बहु-धार्मिक और बहु-सांस्कृतिक देश है, इसलिए इस पर किसी भी एक विचारधारा या संस्कृति को थोपना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

**इंकलाब** (29 जून) के अनुसार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही भाजपा ने अपने मुस्लिम विरोधी एजेंडे को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी घोषणा कर चुके हैं कि राज्य सरकार विधानसभा के अगले सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी कानून लाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का कड़ा विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी भाजपा की इन नीतियों का सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध करेगी।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (30 जून) के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार यूसीसी पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही इस संबंध में अगली कार्रवाई करेगी, क्योंकि सरकार किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहती है। जानकार सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई से विचार-विमर्श कर रही है।

**इंकलाब** (2 जुलाई) के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा को सूचित किया कि सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कानूनी तैयारियों का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस संदर्भ में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है, जो इस मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। उम्मीद है कि अगस्त महीने में विधानसभा के सत्र में इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा।

**औरंगाबाद टाइम्स** (27 जून) के अनुसार तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर राज्य विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया जाता है तो पार्टी इसका विरोध करेगी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि टीएमसी हमेशा यूसीसी को लागू करने का विरोध करती आ रही है, क्योंकि ऐसे कानून को देश में लागू करने की कतई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह कानून केवल अपनी मुस्लिम विरोधी नीति के तहत ला रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है।

# धर्मांतरित मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने पर अदालती रोक

**इंकलाब** (28 जून) के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति पिछड़े वर्ग को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने का स्वतः ही दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वह संवैधानिक रूप से सीधे इसका हकदार नहीं बनता है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि इस्लाम में धर्मांतरण के बाद पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण और अन्य सुविधाएं देना असंवैधानिक है। इसके साथ ही अदालत ने तमिलनाडु सरकार के वर्ष 2024 के उस आदेश को भी असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है, जिसमें धर्म परिवर्तन करने वालों को पिछड़े वर्ग के मुस्लिम के रूप में मान्यता देने और आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कुरान में सभी मुसलमानों को एक समान दर्जा दिया गया है, इसलिए उच्च जाति और पिछड़ी जाति की परिकल्पना कुरान, शरिया और इस्लाम की मूल अवधारणा के खिलाफ है। न्यायमूर्ति जी. आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी की पीठ ने तहसीलदार के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसने एक धर्मांतरित मुस्लिम व्यक्ति को पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था। तहसीलदार के इस फैसले को संबंधित व्यक्ति ने मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016 में इस्लाम स्वीकार करके एक मुस्लिम महिला से निकाह किया था और उनके दो बच्चे भी हैं। याचिकाकर्ता ने तहसीलदार से पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी। उसका तर्क था कि वह 'लेब्बाई' जाति के रीति-रिवाजों का पालन करता है, जो तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के मुस्लिम श्रेणी में शामिल है। हालांकि, तहसीलदार ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उसने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि इस्लाम में भी कई जातियां पिछड़े वर्ग के सिद्धांतों का पालन करती हैं और यह उस विशिष्ट समुदाय पर निर्भर करता है कि वह इस्लाम अपनाने वाले किसी व्यक्ति को अपनी जाति के सदस्य के रूप में मान्यता देता है या नहीं। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम समुदाय का प्रमुख किसी व्यक्ति को पिछड़े वर्ग के रूप में स्वीकार कर प्रमाण पत्र जारी कर देता है तो सरकार को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसे वैध मानकर ओबीसी प्रमाण पत्र जारी कर देना चाहिए ताकि संबंधित व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठा सके। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील के इन सभी तर्कों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया

कि अगर कोई व्यक्ति अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करता है तो वह पिछड़े वर्ग का आरक्षण पाने का हकदार नहीं रह जाता है।

अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि हालांकि संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का निषेध करता है, लेकिन वह सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों व सुविधाओं की व्यवस्था करे। हालांकि, संविधान की यह विशेष धारा उन पर लागू नहीं होती जो इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाते हैं, क्योंकि इन दोनों धर्मों में उच्च और निम्न जाति की कोई परिकल्पना नहीं है।

## मुहर्रम जुलूस में जहर बांटने वाला गिरफ्तार

**औरंगाबाद टाइम्स** (28 जून) के अनुसार मुंबई के भायखला इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। समाचारपत्र के अनुसार जुलूस में शामिल लोगों को थकान मिटाने और स्वास्थ्य में सुधार का झांसा देकर जहरीले कैप्सूल बांटे जा रहे थे। इन कैप्सूलों को खाने के तुरंत बाद कुछ लोगों को उल्टी और पेट में तेज दर्द होने लगा। शिकायत मिलते ही डीसीपी जयंत मीणा के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और पुणे के रहने वाले आरोपी फैयाज प्रेमजी को हिरासत में ले लिया। आरोपी के कब्जे से 14900 जहरीले कैप्सूल और 50 किलोग्राम रासायनिक पाउडर बरामद किया गया है। पुलिस की इस सतर्कता से हजारों लोगों की जान बच गई।

शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने दावा किया था कि ये महज स्वास्थ्यवर्धक और दर्द निवारक कैप्सूल हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया और सच उगल दिया। जांच में सामने आया कि हर कैप्सूल में एक ग्राम जहर था, जो किसी की भी जान लेने के लिए काफी था। आरोपी ने कबूल किया कि उसका लक्ष्य 30 हजार जहरीले कैप्सूल तैयार कर मुहर्रम के जुलूसों में बांटना था। उसके पास बरामद जानलेवा रसायन 'जिंक फॉस्फाइड' है, जिसका इस्तेमाल चूहे मारने के लिए किया जाता है। आरोपी पुणे में रंग-पेंट

का व्यापार करता है और वह साल 2025 में ईरान व इराक की यात्रा भी कर चुका है। पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि सामूहिक हत्याकांड की इस साजिश के पीछे कोई विदेशी हाथ है या यह उसकी व्यक्तिगत योजना थी।

**उर्दू टाइम्स** (25 जून) के अनुसार पश्चिम बंगाल में मुहर्रम के जुलूसों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस बार मुहर्रम के जुलूसों में किसी भी तरह के हथियार लाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त डीजे के इस्तेमाल और अत्यधिक ऊंचे या भारी ताजियों को निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार ने मातम के दौरान तलवार और जंजीरों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी थी। इस संबंध में राज्यभर के थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश दिए गए थे। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया था कि वे सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखें ताकि कोई ऐसा भ्रामक प्रचार न किया जा सके, जिससे शांति व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो।

**उर्दू टाइम्स** (27 जून) के अनुसार बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव में मुहर्रम के दौरान एक हिंसक घटना सामने आई है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार जुमे के दिन (शुक्रवार) सुनील सहनी नामक व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ इमामबाड़े पहुंचकर वहां पंडाल में लगी ट्यूबलाइट पर फायरिंग कर दी, जिससे लाइट बुझ गई। पटना पुलिस में तैनात एएसआई मोहम्मद मोबिन, जो छुट्टी पर अपने घर आया था, ने जब इस हरकत का विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद सुनील सहनी और दीपक सहनी ने एएसआई मोबिन को गोली मार दी। गोलीबारी की इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल एएसआई को तुरंत इलाज के लिए

दरभंगा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं, इस फायरिंग से आक्रोशित लोगों ने आरोपी सुनील सहनी को मौके पर ही घेर लिया और तेज धारदार कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बहादुरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि इस घटना की गहन जांच की जा रही है और गांव में तनाव को देखते हुए एहतियातन भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया गया है।

**इंकलाब** (28 जून) के अनुसार मध्य प्रदेश के रतलाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया अचानक हाईटेंशन बिजली लाइन से टकरा गया। करंट की चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। इस हादसे में लगभग 12 अन्य लोग भी करंट लगने से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

**उर्दू टाइम्स** (25 जून) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि जब भी मुसलमानों का कोई त्योहार या जुलूस निकलने वाला होता है तो

कानून-व्यवस्था की आड़ लेकर उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मुहर्रम के दौरान कानून-व्यवस्था का हवाला देकर प्रशासन द्वारा कई पाबंदियां लगाई गईं। प्रशासन की ओर से यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर जुलूसों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

समाचारपत्र ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में पहले कभी मुहर्रम के जुलूसों पर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, लेकिन जब से राज्य में भाजपा सत्तारूढ़ हुई है तब से वह ईद और मुहर्रम जैसे त्योहारों पर सख्त पाबंदियां लगा रही है। यहां तक कि बाजार भी जबरन बंद करवाए जा रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सड़कों पर सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय में कहा गया है कि हमारे देश की विडंबना यही है कि जब भी कोई कानून लागू किया जाता है तो उसे लागू करने से पहले यह जरूर देखा जाता है कि जिस वर्ग पर उसे लागू किया जा रहा है उसका संबंध किस धर्म या मजहब से है। यह दोहरी नीति क्यों है? मुसलमानों को क्यों दबाया जा रहा है? ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सभी के अधिकार बराबर हैं।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (29 जून) ने इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि इस बार मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। हालांकि, इंदौर में कुछ लोगों ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पटाखे फोड़े थे, जिसके कारण कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त कई उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। समाचारपत्र ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से यह अपील की है कि वे ऐसा प्रयास करें कि मुसलमानों के सभी त्योहार शरीयत के नियमों के अनुसार ही मनाए जाएं और उनमें इस्लाम विरोधी गतिविधियों से पूरी तरह परहेज किया जाए। संपादकीय में आगाह किया गया है कि अगर ऐसी कोई अनपेक्षित घटना होती है तो इससे सत्तारूढ़ दल को मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने का बहाना मिल जाएगा।

विश्व

# पाकिस्तान से 24 लाख अफगान निष्कासित

**हमारा समाज** (22 जून) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि सितंबर 2023 से लेकर अब तक 24 लाख से अधिक अफगान नागरिकों को पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इतिहास में विदेशी मूल के नागरिकों को निष्कासित करने के लिए इससे पहले कभी भी इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान नहीं चलाया गया था। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों में दो प्रकार के अफगान नागरिक शामिल हैं। पहला उन लोगों का है जो अपनी इच्छा से वापस अफगानिस्तान लौट गए हैं, जबकि दूसरा वर्ग उन अवैध प्रवासियों का है जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने जबरन देश से निष्कासित किया है। शरीफ ने शरणार्थियों के अधिकारों और उनके संरक्षण पर चर्चा करते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे इन निष्कासित अफगान नागरिकों के सुरक्षित पुनर्वास और आर्थिक स्थिरता में सहयोग करें।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने 1979 में अफगानिस्तान पर रूसी हमले के बाद से लेकर अब तक 70 लाख से अधिक अफगान नागरिकों को शरण दी है। पाकिस्तान ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद चार दशकों से अधिक समय तक उन्हें सरकारी सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन वर्तमान में देश की बेहद नाजुक आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारे लिए विदेशी नागरिकों का खर्च उठाना संभव नहीं है। यही कारण है कि हमने देश में रह रहे अफगान नागरिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने यह भी स्वीकार किया कि निष्कासित किए गए लोगों में से लगभग 12 से 15 लाख लोग ऐसे हैं, जिनका जन्म पाकिस्तान की भूमि पर ही हुआ था।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अफगान नागरिकों के खिलाफ छेड़े गए पाकिस्तानी अभियान की निंदा की है। इन संगठनों का कहना है कि पाकिस्तान से निष्कासित किए गए कई लोगों के पास वहां रहने के लिए वैध दस्तावेज मौजूद थे। इसके बावजूद उन्हें जबरन वहां से निष्कासित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कई बार पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया था कि वह मानवीय आधार पर इस निष्कासन अभियान को स्थगित कर दे। अंतरराष्ट्रीय संगठनों का यह भी कहना था कि अफगानिस्तान इस समय गंभीर

आर्थिक संकट और भोजन की भीषण कमी से जूझ रहा है। ऐसे में जबरन भेजे जा रहे अफगान नागरिकों के पुनर्वास पर खर्च करने के लिए अफगान सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की भारी कमी है, जिससे उनके भुखमरी का शिकार होने की आशंका बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने दुनियाभर के देशों से इन विस्थापित अफगान नागरिकों के पुनर्वास के लिए सहयोग देने की अपील की है।

इन संगठनों के अनुसार केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि ईरान से भी लाखों की संख्या में अफगान नागरिकों को जबरन निष्कासित किया जा रहा है। इसके कारण अफगानिस्तान में उनके रहने, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारी संकट पैदा हो गया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में हजारों ऐसे अफगान नागरिक रह रहे थे, जिनमें पूर्व सरकारी कर्मचारी, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य यूरोपीय देशों में बसाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने सेना और पुलिस के बल पर इन सभी वर्गों को जबरन अफगानिस्तान की सीमा में धकेल दिया है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान और ईरान ने 15 लाख से अधिक अफगान नागरिकों को अवैध रूप से हिरासत केंद्रों में रखा हुआ है, जहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। पिछले एक सप्ताह में ही लगभग 2 लाख 70 हजार अफगान नागरिकों को पाकिस्तान, ईरान, तुर्किये और ताजिकिस्तान से जबरन निष्कासित किया गया है।

## महरंग बलोच समेत चार बलूच नेताओं को उम्रकैद

**चट्टान** (24 जून) के अनुसार क्वेटा की एक अदालत ने बलूच यकजेहती कमेटी की प्रमुख डॉ. महरंग बलोच और उनके तीन सहयोगियों को 25-25 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर आरोप है कि 2024 में बलूच यकजेहती कमेटी द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें फ्रंटियर कॉर्प्स के एक जवान की मौत हो गई थी। अदालत ने महरंग बलोच के अतिरिक्त सिबघतुल्लाह शाहजी, बलाच कादिर और अबू बकर कलंची को यह सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि 33 वर्षीय महरंग बलोच पेशे से एक डॉक्टर हैं। उनके पिता अब्दुल गफ्फार

लैंगोव को 2009 में पाकिस्तानी सेना ने अगवा कर लिया था। बाद में उनका शव एक सड़क पर पाया गया। इस घटना के बाद महरंग बलोच के जीवन की धारा ही बदल गई और उन्होंने बलूचों पर पाकिस्तानी सरकार व सेना द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ लोगों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने लापता बलूचों की रिहाई के लिए 2024 में 'बलूच लॉन्ग मार्च' का नेतृत्व किया, जिसने इस्लामाबाद पहुंचकर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था।

इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने उनके खिलाफ दमनकारी अभियान छेड़ दिया, जिसके तहत महरंग बलोच पर एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए। उन्हें कई बार हिरासत में लिया गया, लेकिन अदालती आदेशों के कारण उन्हें बार-बार रिहा करना पड़ा। मार्च 2025 में उनकी औपचारिक गिरफ्तारी के बाद अब अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

इस अदालती फैसले के बाद बलूच नेताओं ने कराची प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पाकिस्तानी सरकार पर बलूच अधिकारों की मांग करने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में सुरक्षा अधिकारियों को निशाना बनाने की कार्रवाई की सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने अदालत के फैसले को बलूचिस्तान में शांति व्यवस्था के हित में बताया। बलूच वुमेन फोरम ने डॉ. महरंग बलूच और उनके तीन साथियों को उम्रकैद की सजा के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध बलूच कार्यकर्ताओं को सरकार अवैध और झूठे मुकदमे में फंसा रही है, लेकिन इससे बलूच आंदोलन के हौसलों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

**हमारा समाज** (23 जून) के अनुसार बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के प्रवक्ता जीयंद बलोच ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि पिछले एक सप्ताह में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर 26 बार हमले किए, जिनमें पाकिस्तानी सेना के 30 लोग मारे गए। बीएलए के लड़ाकों ने इन चौकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी जब्त कर लिया। पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में बीएलए के आठ लड़ाके मारे गए, जिनमें एक महिला लड़ाका भी शामिल है। प्रवक्ता ने डॉ. महरंग बलोच और उनके साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बलूच कार्यकर्ता ऐसे दमनकारी फैसलों से डरने वाले नहीं हैं और बलूचिस्तान पर अवैध रूप से कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उनका सशस्त्र संघर्ष जारी रहेगा।

# अफगानिस्तान का पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला

**सियासत** (20 जून) के अनुसार अफगानिस्तान की सेना ने लड़ाकू ड्रोनों के जरिए पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई हमलों का सिलसिला तेज कर दिया है। अफगान वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर कई सामरिक ठिकानों पर बमबारी की है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद इतिहास में पहली बार इतने बड़े और सुनियोजित हमले किए गए हैं। इन हमलों के कारण बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादी गुटों और पाकिस्तानी सेना के दो दर्जन से अधिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में अफगानिस्तान के भीतर अशांति फैलाने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस के भी एक दर्जन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये ठिकाने अफगानिस्तान में शिया विरोधी हमलों के संचालन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। अफगान सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया कि इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी भी मारे गए हैं।

अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान अब किसी भी वायु सीमा उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, प्रवक्ता ने उन विदेशी स्रोतों के नामों का खुलासा नहीं किया जहां से अफगान सेना को ये नए ड्रोन और मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। गौरतलब है कि मई 2026 में अफगानिस्तान ने रूस के साथ एक आधिकारिक सैन्य-तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान को वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करना और सोवियत काल के सैन्य उपकरणों का रखरखाव व आधुनिकीकरण करना है।

**इंकलाब** (30 जून) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने अफगानिस्तान के भीतर सटीक हवाई हमले कर 25 आतंकवादियों को मार गिराया है। यह कार्रवाई अफगानिस्तान के पक्तिका, पक्तिया और कुनार प्रांतों में की गई, जहां प्रतिबंधित संगठनों जमात-उल-अहरार और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के तीन सक्रिय ठिकानों को निशाना बनाया गया।

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान के भीतर यह सैन्य कार्रवाई पिछले सप्ताह कराची में अफगान आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तानी रेंजर्स के कैंप पर किए गए हमले के जवाब में की गई है। रेंजर्स कैंप पर हुए हमले में छह लोग मारे गए थे। दूसरी ओर, तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में पाकिस्तान के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के इन हमलों में कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि 36 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं और 25 अन्य घायल हुए हैं।

# बांग्लादेश में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की हत्या

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (27 जून) के अनुसार बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के एक दर्जन कार्यकर्ताओं की हत्या से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मारे गए कार्यकर्ताओं के परिजनों का आरोप है कि बांग्लादेश पुलिस ने उनके घरों पर छापा मारकर इन कार्यकर्ताओं को उठाया था और बाद में उनके शव विभिन्न स्थानों पर पड़े पाए गए, जिन पर चोटों के कई निशान थे।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार ये घटनाएं 21 जून से 24 जून के बीच बरिशाल, फरीदपुर और चटगांव में हुईं। मारे गए कार्यकर्ता अवामी लीग और उसके छात्र संगठन 'छात्र लीग' से जुड़े थे। ताजा घटना 26 जून की है, जब चटगांव के सतकानिया गांव में 'जुबो लीग' के संयुक्त संयोजक नूरुल आलम का शव एक सड़क पर पाया गया। परिजनों के अनुसार उन्हें एक दिन पहले चटगांव पुलिस की खुफिया शाखा ने हिरासत में लिया था और सरकार के इशारे पर उनकी हत्या की गई। दूसरी ओर, पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद बीमार होने पर उन्हें चटगांव मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। इससे पहले फरीदपुर के मधुखाली कस्बे के छात्र लीग सचिव मिर्जा इश्तियाक अहमद की भी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। उनकी मां के अनुसार खुफिया पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद सड़क पर बेरहमी से पीटा और घायल अवस्था में घसीटते हुए थाने ले गई।

**हमारा समाज** (24 जून) के अनुसार बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात की और उन्हें देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद के अध्यक्ष बासुदेव धर और महासचिव संतोष शर्मा ने किया। उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि पिछले सप्ताह कॉक्स बाजार, ब्राह्मणबाड़िया और कोमिल्ला सहित विभिन्न स्थानों पर अल्पसंख्यकों पर हमले हुए थे। उन्होंने मांग की है कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विशेष प्रबंध करे। इस प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आरोप लगाया है कि हिंदुओं की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। हाल ही में पलाशबाड़ी क्षेत्र में दो मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया है और उनमें पूजा-अर्चना करने पर रोक लगा दी गई है।

**हमारा समाज** (17 जून) के अनुसार बांग्लादेश के एक ईसाई प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात करके उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि पिछले दो वर्षों में बांग्लादेश में अतिवादी इस्लामी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गिरजाघरों पर कई हमले किए हैं और एक दर्जन स्थानों पर पादरियों को धार्मिक आयोजन करने से रोका गया है। पादरियों के संगठन ने सरकार से मांग की है कि ईसाइयों को संरक्षण प्रदान किया जाए और अतिवादी संगठनों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

# स्कॉटलैंड में मस्जिद पर हमला

**उर्दू टाइम्स** (29 जून) के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हुए हमलों में पांच लोग घायल हो गए। ये हमले ब्रूमहाउस मस्जिद के पास शुरू हुए और शहर के अन्य स्थानों पर भी किए गए। इस मामले में पुलिस ने एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में सूडान मूल के एक मुस्लिम प्रवासी ने एक आयरिश व्यक्ति पर चाकू से घातक हमला किया था। इस हमले की खबर और वीडियो फैलते ही ब्रिटेन के विभिन्न शहरों में प्रवासियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए थे। इस दौरान उनके घरों और दुकानों को भी निशाना बनाया गया था।

दूसरी ओर, 'स्कॉटिश एसोसिएशन ऑफ मॉस्क' ने मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। वहीं, स्कॉटलैंड के मंत्री जॉन स्विनी ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निदा की है। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड में धर्म या नस्ल के आधार पर हिंसा को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।

**उर्दू टाइम्स** (17 जून) के अनुसार ब्रिटिश पुलिस ने फिलिस्तीन समर्थक संगठन 'फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप' के 200 से अधिक समर्थकों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि एक ब्रिटिश अदालत ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन करार देने के सरकारी फैसले की पुष्टि कर दी है। इस सरकारी फैसले के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थक देश के विभिन्न हिस्सों में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए फिलिस्तीनी संगठन हमास ने कहा है कि सरकार ने यह निर्णय इजरायल के दबाव में लिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों का समर्थन करने वाली आवाजों को दबाना और गाजा में की जा रही इजरायली सैन्य कार्रवाईयों पर पर्दा डालना है।

गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर आतंकवाद निरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का तर्क था कि इस संगठन से जुड़े लोगों की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि यह संगठन यहूदियों और इजरायल से जुड़ी कंपनियों पर हमलों की साजिश रच रहा है।

**उर्दू टाइम्स** (24 जून) के अनुसार जापान सरकार ने सैतामा प्रांत के कावागोए शहर में पाकिस्तानी समुदाय द्वारा बनाई गई एक मस्जिद को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस मस्जिद का निर्माण जापान में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के नागरिकों की एक कंपनी द्वारा किया गया था और इसका उद्घाटन जापान स्थित पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल हमीद ने किया था। जापान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान में बिना अनुमति के मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करना एक आम बात है और इसकी आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आम रिवाज है, लेकिन इस प्रवृत्ति की शुरुआत जापान में करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

पश्चिम एशिया

# इजरायल और लेबनान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर

**एतेमाद** (28 जून) के अनुसार इजरायल और लेबनान के बीच वाशिंगटन में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस अवसर पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि इस समझौते में तुरंत युद्ध समाप्त करने और भविष्य में शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए वार्ताओं की एक रूपरेखा भी तैयार की गई है। 'अल जजीरा' की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि यह समझौता अमेरिका के प्रयासों से हुआ है और इसके कारण लेबनान में स्थिरता व शांति की स्थापना में सहायता मिलेगी। अमेरिका चाहता है कि लेबनान और इजरायल की जनता एक शांतिपूर्ण तथा बेहतर भविष्य व्यतीत कर सके। हालांकि, यह रूपरेखा कोई स्थाई और अंतिम शांति समझौता नहीं है, बल्कि इससे भविष्य की व्यापक वार्ताओं और एक-दूसरे पर विश्वास के नए अध्याय की शुरुआत होने की उम्मीद है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते के तहत इजरायली सेना धीरे-धीरे लेबनान के उन क्षेत्रों को खाली करेगी जहां उसने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। वह इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का नियंत्रण लेबनानी सेना के हवाले करेगी ताकि वह क्षेत्रीय सुरक्षा का कार्य अपने हाथों में ले सके। इसके अतिरिक्त हिजबुल्लाह सहित सभी गैर-सरकारी सशस्त्र संगठनों का पूर्ण रूप से नि:शस्त्रीकरण किया जाएगा। जब तक सत्यापन के साथ यह पूरा कार्य नहीं होता तब तक इजरायली सेना लेबनानी क्षेत्रों से पूरी तरह पीछे नहीं हटेगी। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रक्रिया की शुरुआत दक्षिणी लेबनान के दो क्षेत्रों से की जाएगी। यहां सबसे पहले इजरायली सेना इन क्षेत्रों को खाली करेगी और नियंत्रण लेबनानी सेना को सौंप देगी। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा ताकि युद्ध के कारण बेघर हुए नागरिकों को वहां फिर से बसाया जा सके। मार्को रुबियो ने इस समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का यह एक सकारात्मक कदम है, जिसका मुख्य उद्देश्य लेबनान की संप्रभुता बहाल करना, हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को समाप्त करना और इजरायल की सीमावर्ती सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम का कहना है कि इस समझौते का अंतिम लक्ष्य सभी लेबनानी क्षेत्रों से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी है। दूसरी ओर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि जब तक हिजबुल्लाह के पास हथियार रहेंगे तब तक इजरायल पर खतरा बरकरार रहेगा। ऐसी स्थिति में इजरायली सेना की लेबनान से पूर्ण वापसी संभव नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह इस समझौते में भागीदार नहीं है। हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल को बिना किसी शर्त के लेबनान की भूमि खाली करनी चाहिए और उनका संगठन इजरायल की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का एक प्रयास तो है, लेकिन इजरायल द्वारा लगाई गई शर्तों और हिजबुल्लाह द्वारा नि:शस्त्रीकरण से पूरी तरह इनकार किए जाने के कारण लेबनान में स्थाई शांति की संभावना बेहद कम नजर आती है। हालांकि, लेबनान सरकार ने इस समझौते में पुष्टि की है कि उसकी सेना लेबनान की सुरक्षा और युद्ध से संबंधित फैसले स्वयं करेगी। इसके साथ ही अगर भविष्य में हिजबुल्लाह की ओर से इजरायल पर कोई हमला होता है तो इजरायल को आत्मरक्षा में उसका जवाब देने का पूरा अधिकार होगा।

**उर्दू टाइम्स** (29 जून) के अनुसार लेबनान सरकार ने अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इस समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि वर्तमान में लेबनान के एक बड़े हिस्से पर उसी का नियंत्रण है। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने इस समझौते को लेबनान के लिए विनाशकारी, अपमानजनक और संप्रभुता का आत्मसमर्पण करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने लेबनान पर दबाव डालकर यह एकतरफा समझौता कराया है, जो पूरी तरह इजरायल के पक्ष में है। कासिम ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन किसी भी कीमत पर हथियारों का त्याग या अपना नि:शस्त्रीकरण नहीं करेगा। हिजबुल्लाह के इस कड़े रुख के कारण पिछले एक साल से जारी युद्ध के समाप्त होने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है।

गौरतलब है कि 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के ठीक बाद लेबनान में भी भीषण युद्ध छिड़ गया था। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजरायल पर लगातार कई रॉकेट और ड्रोन हमले किए, जिसके जवाब में इजरायल ने भी व्यापक कार्रवाई की। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इसके बाद इजरायली सेना लेबनान की सीमा में दाखिल हो गई और उसने दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्सा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।

**उर्दू टाइम्स** (27 जून) के अनुसार ईरानी पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि अगर इजरायल स्वेच्छा से लेबनान को खाली नहीं करता तो उसे पराजित होकर यह क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहूदियों को हर हाल में लेबनान से बाहर जाना होगा और वे उनके इस

अवैध कब्जे का लगातार विरोध करते रहेंगे। दूसरी ओर, ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने आरोप लगाया कि इटली और रोमानिया ने ईरान पर हमला करने के लिए अपने सैन्य ठिकाने अमेरिका को उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के इस खुले उल्लंघन को नाटो मूकदर्शक बनकर देखता रहा, जबकि यह एक खुली आक्रामकता थी।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (28 जून) के अनुसार लेबनान के सरकारी सूत्रों ने इजरायल और लेबनान के बीच हुए 14-सूत्रीय समझौते के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इस समझौते के तहत इजरायली सेना को हर हाल में लेबनानी क्षेत्र खाली करने होंगे और इसमें इजरायल की ओर से कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। इसकी शुरुआत दोनों देशों की सहमति से निर्धारित 'पायलट जोन' से होगी। अमेरिका में लेबनान की राजदूत ने कहा कि यह समझौता लेबनान की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को पुनर्स्थापित करने वाला, शत्रुता का खात्मा करने वाला और लेबनानी नागरिकों की अपने क्षेत्रों में सुरक्षित वापसी की गारंटी देने वाला है। दूसरी ओर, इजरायली राजदूत ने स्पष्ट किया कि इस समझौते से ईरान और हिजबुल्लाह का कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से इजरायल और लेबनान की सरकारों के बीच हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध समाप्त कर शांति के नए मार्ग खोलना है।

## ईरानी गायिका को कोड़े मारने की सजा

**सियासत** (21 जून) के अनुसार ईरान की एक अदालत ने देश की लोकप्रिय 29 वर्षीय गायिका परस्तू अहमदी और उनके प्रोडक्शन टीम के आठ सहयोगियों को 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त अदालत ने उन सभी पर दो साल के लिए देश छोड़ने और दो साल तक किसी भी प्रकार की कलात्मक गतिविधि या संगीत कार्यक्रम करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

यह फैसला दिसंबर 2024 में यूट्यूब पर प्रसारित उनके एक वर्चुअल कॉन्सर्ट के संदर्भ में आया है। ईरान सरकार का आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान जब परस्तू अहमदी ने प्रसिद्ध देशभक्ति गाना 'अज खूने जवानाने वतन' (देश के युवाओं के खून से) प्रस्तुत किया तब उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। इंटरनेट पर वीडियो वायरल

होने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर अदालत में मुकदमा चलाया गया।

अमेरिका स्थित 'सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान' की प्रतिनिधि बहार गंदेहारी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे अभिव्यक्ति और कला की स्वतंत्रता का हनन बताया है। इस फैसले के विरोध में न्यूयॉर्क में रहने वाली ईरानी मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री नाजनीन बोनियादी और निर्वासित संगीतकार सेतारेह मालेकी सहित 200 से अधिक ईरानी नागरिकों ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया।

# ईरान–अमेरिका युद्धविराम समझौता खतरे में

**इंकलाब** (28 जून) के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन भंडारों के अतिरिक्त तटीय रडारों को भी निशाना बनाया है। ये हमले 25 जून को सिंगापुर के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर होने वाले ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में किए गए हैं। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान द्वारा किया गया यह हमला हाल ही में हुए युद्धविराम समझौते का खुला उल्लंघन है। इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय जहाजों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए अमेरिका द्वारा सुरक्षात्मक हमलों का यह सिलसिला जारी रहेगा। और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

अमेरिकी सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया कि सिंगापुर के झंडे वाले जहाज पर किए गए हमले में ईरानी आईआरजीसी का हाथ है और इस हमले में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके कारण फिलहाल इस क्षेत्र से जलयानों के आवागमन को अस्थाई तौर पर रोक दिया गया है। दूसरी ओर, ईरान ने बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी ड्रोन हमले किए। बहरीन ने आरोप लगाया है कि ईरान ने उसकी भूमि पर जो हमले किए हैं वह बहरीन की संप्रभुता और वायु सीमा का उल्लंघन है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय है, जिसे ईरान ने अपना निशाना बनाया है।

आईआरजीसी के प्रवक्ता ने दावा किया है कि सिर्री द्वीप पर अमेरिकी हमले को विफल बना दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान अपनी रक्षा के लिए हर संभव कार्रवाई करेगा और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस क्षेत्र में जो भी अमेरिकी सैन्य अड्डे स्थित हैं उन पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी रखा जाएगा। ईरान ने दावा किया है कि इन अमेरिकी हमलों के कारण दोनों देशों के बीच युद्धविराम के बारे में जो अस्थाई समझौता हुआ था वह खतरे में पड़ गया है और इसके कारण जो परिस्थिति पैदा हुई

है उसके लिए अमेरिका और उसके सहयोगी पूरी तरह दोषी हैं।

**इंकलाब** (29 जून) के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि अमेरिकी नौसेना और वायु सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य तथा उसके आसपास स्थित ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि यह कार्रवाई ईरान द्वारा युद्धविराम का दो बार उल्लंघन करने के बाद की गई है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ईरान ने इन हमलों को जारी रखा तो उसके अस्तित्व को ही मिटा दिया जाएगा।

आईआरजीसी ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जो आगे भी जारी रहेगा। कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया है, जबकि आईआरजीसी ने इन हमलों की तस्वीरें भी जारी की हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दावा किया है कि अमेरिकी कार्रवाई से इस क्षेत्र में स्थिति और भी खराब हो सकती है। वहीं, बहरीन ने अपने खिलाफ हुए ईरानी हमलों की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि इस ताजा विस्फोटक स्थिति पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जाए।

**उर्दू टाइम्स** (2 जुलाई) के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि "ईरान अमेरिका के साथ विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है, लेकिन हमें अमेरिका के हालिया रवैये के कारण बातचीत से कोई लाभ मिलने की संभावना नजर

नहीं आती, इसलिए हमने फिर से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है।"

**उर्दू टाइम्स** (1 जुलाई) के अनुसार कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में किसी उच्च स्तरीय वार्ता का कोई कार्यक्रम विचाराधीन नहीं है। कतर होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए ओमान के साथ संपर्क में है।

**अवधनामा** (1 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका से दोहा में उच्च स्तरीय बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को ठुकरा दिया है। दूसरी ओर, ईरान के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने अमेरिका से वार्ता शुरू करने का कोई अनुरोध नहीं किया है और न ही इसमें उसकी कोई रुचि है।

**उर्दू टाइम्स** (21 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध इसलिए शुरू होने वाला है, क्योंकि इजरायल और यहूदी लॉबी द्वारा अमेरिकी सरकार पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि वह ईरान से किसी तरह का समझौता न करे, इसलिए विश्व को यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि यह युद्ध समाप्त हो जाएगा।

**अवधनामा** (20 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि विश्वभर में ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम होने पर जो खुशी व्यक्त की जा

रही है, वह ज्यादा समय तक बरकरार रहने वाली नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि अमेरिका द्वारा बार-बार ईरान पर ऐसी शर्तें थोपी जा रही हैं, जिन्हें ईरान कभी नहीं मानेगा। अगर ईरान अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण करने की गलती करता है तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। यही कारण है कि ईरान फूंक-फूंककर कदम रख रहा है और इस समझौते के बावजूद उसकी ओर से सैन्य तैयारियां लगातार जारी हैं।

## इजरायली हमले में हमास के पूर्व प्रमुख का भतीजा ढेर

**इंकलाब** (29 जून) के अनुसार इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने साझा जानकारी के आधार पर गाजा में एक हवाई हमले की पुष्टि की है। इस हमले में हमास के सैन्य विंग के कमांडर वलीद हानियेह की मौत का दावा किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार वलीद हानियेह हमास के पूर्व प्रमुख इस्माइल हानियेह का भतीजा था। वह हमास की विशेष 'नुखबा फोर्स' के एक दस्ते का संचालन कर रहा था। उसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के हमले का नेतृत्व किया था। गौरतलब है कि जुलाई 2024 में तेहरान में हुए एक इजरायली हमले में इस्माइल हानियेह की मौत हो गई थी।

इजरायली प्रवक्ता ने दावा किया है कि वलीद हानियेह न केवल हमलावर समूह का नेतृत्व कर रहा था, बल्कि उसने इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा ले जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह हाल ही में हमास के लिए नए लड़ाकों की भर्ती और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम की निगरानी कर रहा था। इसी वजह से इजरायली खुफिया विंग उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी। खुफिया सूत्रों से मिली सटीक जानकारी के आधार पर वलीद को एक इमारत में निशाना बनाया गया। इस हमले में उसके साथ हमास के कुछ अन्य कमांडरों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि, हमास ने इजरायल के इस दावे पर अभी तक कोई टिप्पणी या बयान जारी नहीं किया है। यह हमला गाजा के खाना यूनिस इलाके में हुआ, जिसे युद्ध के दौरान 'सुरक्षित क्षेत्र' घोषित किया गया था। इजरायली ड्रोन द्वारा किए गए इस हमले में विस्थापित लोगों के एक कैंप को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे कई बेघर नागरिक भी मारे गए हैं।

## नाइजीरिया में आतंकी हमले में 20 लोगों की मौत

**सियासत** (18 जून) के अनुसार नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में स्थित केब्बी राज्य के अरेवा इलाके के एक गांव पर सशस्त्र विद्रोहियों के हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हमलावरों का संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन 'लकुरावा' से है, जिसे आईएसआईएस से जुड़ा माना जाता है। केब्बी राज्य के डिप्टी गवर्नर उमर अबूबकर तफीदा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती घायलों में से अधिकांश की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। तफीदा ने घोषणा की कि आतंकवादियों और सशस्त्र गुटों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए इस क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। नाइजीरियाई सेना और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां

मिलकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आतंकवादियों के खिलाफ सघन अभियान चलाने में जुट गई है।

गौरतलब है कि नाइजीरिया में बोको हराम, आईएसआईएस और लकुरावा जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जो मुख्य रूप से ईसाइयों को निशाना बनाते हैं। इन आतंकवादी संगठनों ने अब तक बड़ी संख्या में ईसाइयों की हत्या की है और छात्राओं का अपहरण करके उन्हें गुलाम बनाया है। वर्तमान में नाइजीरिया की जनसंख्या 24 करोड़ है, जिनमें से 56 प्रतिशत मुसलमान और 43 प्रतिशत ईसाई हैं।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नाइजीरिया में ईसाइयों पर होने वाले हमलों को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने नाइजीरियाई सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए सैन्य कार्रवाई तक की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्याएं जारी रहीं तो अमेरिका वहां पर हवाई हमलों के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ट्रम्प प्रशासन ने नाइजीरिया को 'विशेष चिंता वाले देशों' की सूची में वापस डाल दिया है। ट्रम्प का मानना है कि नाइजीरिया के ईसाइयों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और वहां की सरकार इस्लामिक आतंकवादियों को रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने नाइजीरियाई सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उसने अपने देश में ईसाइयों के उत्पीड़न और हत्याओं को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता रोक देगा। हालांकि, ट्रम्प के इन आरोपों को नाइजीरियाई सरकार ने खारिज कर दिया था। नाइजीरिया सरकार का कहना था कि वहां के विद्रोही गुट धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करते, बल्कि वे ईसाइयों के साथ-साथ बड़ी संख्या में स्थानीय मुसलमानों और मस्जिदों को भी निशाना बनाते हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

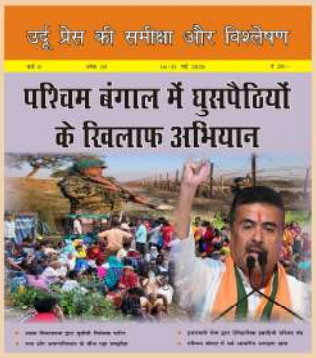


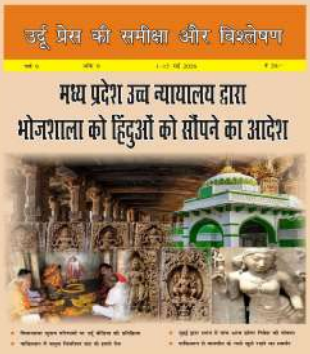


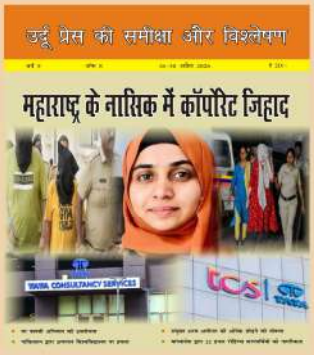


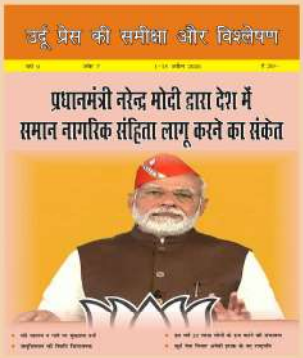

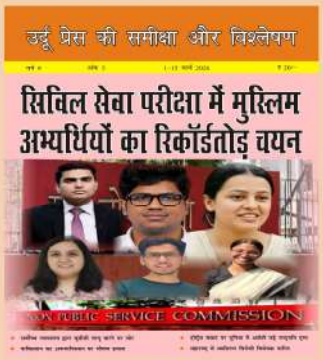

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in